



भारत सरकार
प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
सिविल लाईन्स, दिल्ली-110054

Website: www.deptpub.gov.in/ egazette.nic.in
TEL.: 2381 7823 / 9689 Fax: 2381 7846.

File No: Estt./LDC RRs/2026

Date: 09.09.2026

OFFICE MEMORANDUM

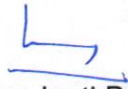
Subject: Amendment in Recruitment Rules for the post of Lower Division Clerk at Department of Publication, Delhi- regarding.

Please refer to this Department OM No. Estt./LDC RRs/2026 dated 18.08.2026 on the subject cited above and to say that due to necessary amendments in the said OM, the draft RRs for the post of LDC has been removed from the website of the Ministry/ Department and necessary amendments in the Draft RR of the LDC has been made.

Further, In accordance with DoPT's O.M. No. AB-14017/61/2008-Estt. (RR) dated 13.10.2015; comments of stakeholders are invited in the official email of this Department i.e. acop-dep@nic.in on the draft Recruitment Rules for the post of Lower Division Clerk in the Department of Publication, a subordinate office under the Ministry of Information and Broadcasting, till 8th October, 2026.

2. This issues with the approval of JS (PSP).

Encl: as above


(Lucy Jyoti Beck)
Asstt. Controller (Admn.)

A.C.(A)

Copy to:-

1. E-Gazette Section with the request to upload this O.M along with draft Recruitment Rules on the Departmental website

TO BE PUBLISHED IN PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (1) OF THE

GAZETTE OF INDIA

DEPARTMENT OF PUBLICATION

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, Dated.

NOTIFICATION

G.S.R.: - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Publication, Lower Division Clerk Recruitment Rules, 2013 published in the Gazette of India, dated March 3 - March-9, 2013, in so far as it relates to the posts of **Lower Division Clerk**, except as respects things done or omitted to be done before such super session, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to group 'C' non-gazetted post of Lower Division Clerk in the Department of Publication, Ministry of Information and Broadcasting, namely:-

1. Short title and commencement.-

- i) These rules may be called the Department of Publication, Lower Division Clerk (Group 'C', non-gazetted) Recruitment Rules, 2024
- ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay. - The number of post, its classification and the level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age-limit and other qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of schedule annexed to these rules.

4. Disqualifications. - No person:-

- i) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- ii) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:


A.C.(A)

Provided that the central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix or pay scale
1	2	3	4
Lower Division Clerk	41 * (2026) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Ministerial)	Level -2 of the Pay Matrix Rs.19900-63200

Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
5	6	7
Non-Selection	Between 18 and 27 years (relax able for Government servants up to the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note:- The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission. Where the recruitment is not through SSC, crucial date of determining age limit shall be the last date of receipt of application.	(i) 12th Class pass or equivalent qualification from a recognized Board or University. (ii) A Typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 key depressions per hour/9000 key depressions per hour on an average of five key depressions for each word).
Whether age and educational	Period of probation, if any	Method of recruitment:- whether by direct recruitment or by promotion or


A.C.(A)

qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.		by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
8	9	10
Yes, to the extent indicated in column (11)	Two years.	a) 50% by Direct Recruitment through Staff Selection Commission, b) 25% by promotion on seniority cum-fitness basis, failing which by direct recruitment through Staff Selection Commission. c) 25%, by Promotion through Limited Departmental exam, failing which by direct recruitment through Staff Selection Commission.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
11	12	13
(i) 25% of the vacancies shall be filled on seniority cum-fitness basis from Group 'C' Staff (MTS) in the pay level -1(Rs. 18,000-56,900) who have 3 years regular service in posts of the Level-1 (Rs. 18,000-56,900) of Pay Matrix, (ii) 25% of the vacancies shall be filled from amongst the Group 'C' Staff (MTS) in the pay level -1(Rs. 18,000-56,900) and who possess 12th class pass or equivalent qualification and have rendered 3 years regular service in the grade, on the basis of Departmental qualifying examination.	Departmental Promotion/Confirmation Committee:- 1. Controller of Publication: Chairman 2. Under Secretary of the administrative Ministry :	Not applicable


A.C.(A)

The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for the SC/ST). Note: If more of such employees than the number of vacancies available under this clause qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.	Member 3. Deputy Controller of Publication/Assistant Controller(Admn) : Member	
---	--	--


A.C.(A)

भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (1) में प्रकाशनार्थ

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

सा.का.नि.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रकाशन विभाग, अवर श्रेणी लिपिक, भर्ती नियम, 2013, जो भारत के राजपत्र में दिनांक मार्च 3 - मार्च 9, 2013 को प्रकाशित हुए थे, को, जहाँ तक उनका संबंध अवर श्रेणी लिपिक (Lower Division Clerk) के पद से है, उन कार्यों या कार्यवाहियों को छोड़कर जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए हों या किए जाने से रह गए हों, अधिक्रमित करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग में समूह 'ग' अराजपत्रित पद 'अवर श्रेणी लिपिक' पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रकाशन विभाग, अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' - अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :-

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा शैक्षणिक योग्यताएँ आदि

उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक योग्यताएँ तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसके पति या पत्नी जीवित हो; विवाह किया है, या

(ख) जिसने, अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु, यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू व्यक्तिगत स्वीय के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट प्रदान कर सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:-


A.C.(A)

जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर	पद चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
अवर श्रेणी लिपिक	*41 (इकतालीस) (2026)** कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित (अनुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स का स्तर-2 (₹19,900-63,200)	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच। केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार, सरकारी सेवकों के लिए आयु-सीमा में 40 वर्ष तक छूट प्रदान की जा सकती है। टिप्पणी: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि वही होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी। जहाँ भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं की जाती है, वहाँ आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष अर्हता। (ii) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (अर्थात् 35 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट क्रमशः प्रति घंटे 10,500 कुंजी दबाव (Key Depressions) तथा 9,000 कुंजी दबाव , प्रत्येक शब्द के लिए औसतन पाँच कुंजी दबाव के अनुरूप होंगे।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेहन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेहन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेहन किया जाएगा
8	9	10	11
हां, स्तंभ (11) में उपदर्शित सीमा तक	दो वर्ष।	(क) 50 प्रतिशत पद कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ख) 25 प्रतिशत पद वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति द्वारा; ऐसा न होने पर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ग) 25 प्रतिशत पद सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा; ऐसा न होने पर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति: (i) रिक्तियों के 25 प्रतिशत पद वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (₹18,000-56,900) में कार्यरत समूह 'ग' के कर्मचारी (बहुकार्यकारी कर्मचारी - एमटीएस), जिन्होंने उक्त स्तर में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो, में से वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरे जाएंगे। (ii) रिक्तियों के 25 प्रतिशत पद वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (₹18,000-56,900) में कार्यरत ऐसे समूह 'ग' के कर्मचारी (बहुकार्यकारी कर्मचारी - एमटीएस), जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष अर्हता प्राप्त की हो तथा उक्त ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी की हो, में से विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर भरे जाएंगे। इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष होगी। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए यह आयु-सीमा 50 वर्ष होगी।) टिप्पणी: यदि इस उपबंध के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक कर्मचारी विभागीय अर्हता परीक्षा में सफल हो जाते हैं, तो अतिरिक्त सफल कर्मचारियों पर आगामी वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा, ताकि पूर्व में आयोजित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर बाद में आयोजित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना			भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12			13
समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति/पुष्टि समिति तथा प्रतिनियुक्ति/आमेहन के मामलों पर विचार करने हेतु समिति की संरचना निम्नलिखित होगी :-			लागू नहीं।

1. प्रकाशन नियंत्रक — अध्यक्ष	
2. अवर सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय — सदस्य	
3. उप नियंत्रक/सहायक नियंत्रक (प्रशासन) — सदस्य	



A.C.(A)